MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

NATIONAL TEXTILE CORPORATION LIMITED (NTC LTD)

AND

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDIA (TII)

This Memorandum of Understanding (MOU) is entered into on this **Thursday 3rd day of December, 2015** between **National Textile Corporation Limited** (A Govt. of India Enterprise) having its registered office, SCOPE Complex, Core-IV, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003 (hereinafter referred to as **NTC Ltd.**).

Ana

Transparency International India having its office at Qtr. No.4, Lajpat Bhawan, Lajpat Nagar IV, New Delhi-110024 (hereinafter referred to as TII).

- Considering that bribery and corruption are widespread Social and Economic crime, which undermines good governance and economic development in India and corrodes the moral fabric of our society.
- Considering that all companies and major organization within India share a common responsibility to combat bribery and corruption in all forms and manifestations.
- 3. **Recognizing** that achieving progress in this area requires sustained efforts not only at national level but also on individual Company or Government Department levels.
- 4. **Welcoming** the efforts of **Transparency International-India (TII)** and other nongovernmental organizations as well as business organizations such as **NTC Ltd**.
- 5. NTC Ltd. is Schedule-A Public Sector Undertaking engaged and entrusted with Management and operation of Sick Textile Undertakings taken over and nationalized through various Acts. NTC Ltd. conducts its business in highest ethical standards. It does business with a number of domestic and international bidders, contractors and vendors of goods and services (Counter parties). NTC Ltd. is committed to fostering the most ethical and corruption free business environment. NTC Ltd. values its relationship with all Counter parties and deals with them in a fair and transparent manner.

Prof

/ Jana

- Integrity Pact is a tool developed by Transparency International, which ensures that 6. all activities and transactions between a Company or Government Departments and their Supplier are handled in a fair, transparent and corruption free manner.
- 7. NTC Ltd. and TII have developed the attached Integrity Pact as per the guidelines of the Central Vigilance Commission (CVC) and NTC Ltd. will implement this Program within its Organization. Based on the experience gained in implementing the Integrity Pact in NTC Ltd. and other organizations, this Integrity Pact may be further refined to improve its effectiveness.
- 8. NTC Ltd. is committed to implement the Integrity Pact Program whole-heartedly both in letter and in spirit.
- 9. TII pledges to support NTC Ltd. in this regard and provide it with advice and resources within its means to ensure successful implementation of Integrity Pact Program and achievement of its objectives.
- In case NTC Ltd. and TII have differences concerning the implementation of the 10. Integrity Pact Program, they undertake to resolve them through dialogue and discussion. In case such differences cannot be resolved either party can terminate this 'Memorandum of Understanding' by giving thirty days notice in writing to the other party and make such termination public only after it has taken effect. This MOU will remain in effect unless terminated according to the above provision.
- 11. This MOU shall be construed and governed in accordance with the laws of India and shall have the jurisdiction of the courts at New Delhi.
- 12. The implementation of the Integrity Pact will be reviewed annually by TII and NTC Ltd will provide all necessary assistance in the review.
- 13. This MOU is signed at NEW DELHI on this Thursday 3rd day of December, 2015.

For and on behalf of NTC Ltd.

(P.C. Vaish)

Chairman & Managing Director National Textile Corporation Ltd., SCOPE Complex, Core-IV, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003. For and on behalf of TII

(Shri P. S. Bawa)

Chairman

Transparency International India Lajpat Bhawan, Qtr. No.IV. Laipat Nagar IV, New Delhi-110024

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) इसमें इसके पश्चात् "नियोजक" नाम से निर्दिष्ट होगा औरइसमें इसके पश्चात् "बोलीकर्ता/ठेकेदार" नाम से निर्दिष्ट होगा । के बीच

सत्यनिष्ठा समझौता

इन लक्ष्यों को पूरा करने/प्राप्त करने/पूर्ति करने के लिए नियोजक एक स्वतंत्र बाहरी मानीटर (आईईएम) को नियुक्त करेगा जो ऊपर उल्लिखित सत्यनिष्ठता के अनुपालन के लिए निविदा प्रक्रिया और ठेका निष्पादन का मानीटर करेगा ।

अनुभाग 1 - नियोजक की जिम्मेदारियां

- नियोजक भ्रष्टाचार को रोकने और निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुपालनार्थ समस्त आवश्यक कार्रवाई करने के लिए वचनबद्ध है ।
- अ. नियोजक का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के सदस्यों के जिरये निविदा के संबंध में या ठेका निष्पादन हेतु कोई भी भौतिक या गैर-भौतिक हितलाभ जिस पर उस व्यक्ति का कानूनी तौर पर हकदार न हो उसे अपने लिये या कोई अन्य व्यक्ति के लिए मांग, लेने की वादा या स्वीकार नहीं करेगा ।
- आ. निविदा प्रक्रिया के दौरान नियोजक समस्त बोलीकर्ताओं के साथ समान दृष्टि और विवेक के साथ बर्ताव करेंगें। नियोजक विशेष रूप से निविदा प्रक्रिया के पहले और निविदा प्रक्रिया के दौरान, समस्त बोलीकर्ताओं को एक ही (वही, समान, सदृश, वैसा ही, समरूप) जानकारी मुहैया करेंगे और किसी बोलीकर्ता (ओं) को गोपनीय / अतिरिक्त जानकारी मुहैया नहीं करेंगे जिसके जिरये बोलीकर्ता निविदा प्रक्रिया या ठेका निष्पादन में लाभ उठा सके।
- इ. नियोजक समस्त ज्ञात पूर्वाग्रह उत्पन्न किये व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया से निकाल देंगे ।
- 2. नियोजक अपने किसी कर्मचारी के चरित्र के संबंध में जो आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक अपराध है (बनता है) या इस संबंध में उस कर्मचारी पर मूल संदेह हो तो, नियोजक मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेंगे और उस के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी प्रारंभ कर सकते है।

अनुभाग 2 – बोलीकर्ता (ओं) / ठेकेदार (रो) की जिम्मेदारियां

- 1. बोलीकर्ता(ओं)/ठेकेदार(रों) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समस्त उपायों को अपनाने के लिए खुद वचनबद्ध होते हैं । वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेते समय और ठेका निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए खुद वचनबद्ध होते हैं ।
- अ. बोलीकर्ता(ओं)/ठेकेदार(रों) प्रत्यक्ष रीति से या किसी अन्य व्यक्ति से या कंपनी के जिरए निविदा प्रक्रिया के समय या ठेका निष्पादन के समय आदान-प्रदान के रूप में किसी तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए नियोजक के कर्मचारी जो निविदा प्रक्रिया में सिम्मिलित हो या ठेका निष्पादन में सिम्मिलित हो या दूसरे अन्य व्यक्ति को किसी सामग्री या अन्य हित-लाभ जिसके लिए वह वैध रूप से हकदार न हो, देने का प्रस्ताव या देने का वादा नहीं करेंगे।
- आ. बोलीकर्ता (ओं)/ठेकेदार(रों) विधिवत् या अनियमित रूप से अन्य बोलीकर्ता(ओं) के साथ किसी भी गुप्त समझौता में चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो में सम्मिलित नहीं होंगे। विशेष रूप से यह शर्त कीमत, विनिर्देशन, प्रमाणीकरण, गौण ठेकाएं, बोली की प्रस्तुतीकरण या गैर-प्रस्तुतीकरण या होड़ा-होड़ी को रोकने के अन्य क्रियाएं या बोली प्रक्रिया में गुटबंदीकरण को आरंभ करना जैसे क्रियाओं पर लागू होगी।

- इ. बोलीकर्ता(ओं)/ठेकेदार(रों) प्रासंगिक आईपीसी/पीसी (भारतीय दंड संहिता/दंड संहिता) अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध नहीं करेंगे, इसके अतिरिक्त नियोजक के द्वारा योजना, तकनीकी प्रस्ताव और व्यापारिक विवरण जो इलेक्ट्रानिक रूप से प्रसारित हो, की जानकारी सहित व्यापारिक संबंध के एक अंक के रूप में उपलब्ध कराया गया दस्तावेज/जानकारी आदि को बोलीकर्ता(ओं)/ठेकेदार(रों) प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ या अन्यों को हस्तांतरण करने जैसे अन्चित रूप से उपयोग नहीं करेंगे ।
- ई. यदि बोलीकर्ता(ओं)/ठेकेदार(रों) विदेशी मूल के हो तो वे भारत में अपने अभिकर्ता/प्रतिनिधि के नाम व पता का प्रकटन करेंगे। वैसे ही यदि बोलीकर्ता(ओं)/ठेकेदार(रों) भारतीय मूल के हो तो वे अपने विदेशी मालिकों के नाम व पता को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त ''विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय अभिकर्ताओं हेतु दिशा-निर्देश' में उल्लिखित विवरण भी बोलीकर्ता (ओं)/ठेकेदार(रों) द्वारा प्रकट कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दिशा-निर्देशों के उल्लेख के अनुसार भारतीय अभिकर्ता/प्रतिनिधि को देने वाली समस्त भुगतान भारतीय रुपये में ही होगी। ''विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय अभिकर्ताओं हेत् दिशा-निर्देश'' की प्रति संलग्नक बी 1 पर है।
- 3. बोलीकर्ता(ओं)/ठेकेदार(रों) अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, ठेका प्रदान करने के संबंध में अभिकर्ताओं को, दलालों को या कोई अन्य मध्यस्थों को उनके द्वारा दिया गया भुगतान या देने का वचनबद्ध या भुगतान देने का अपना इरादा के बारे में प्रकट करना चाहिए ।
- 2. बोलीकर्ता(ओं)/ठेकेदार(रों)अन्य व्यक्तियों को ऊपर प्रस्तुत अपराधों को करने को नहीं उकसाएंगे(भड़काएंगे) या उक्त अपराधों में सहायक नहीं होंगे ।

अनुभाग - 3 निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता एवं भावी ठेकाओं से वर्जन (बहिष्करण)

यदि बोलीकर्ता(ओं)/ठेकेदार(रों) ठेका देने के पहले या ठेका निष्पादन के समय उपरिलिखित अनुभाग 2 के अतिक्रमण से या अपने अन्य व्यवहारों से अपने विश्वसनीयता को संदेह में डालने जैसे अपराध किया है उस स्थिति पर नियोजक बोलीकर्ता/ठेकेदार(रों) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य ठहराने या "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय अभिकर्ताओं हेतु दिशानिर्देश" में उल्लिखित पद्धति के अनुसार कार्रवाई करने के लिए हकदार होते हैं। "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय अभिकर्ताओं हेतृ दिशानिर्देश" की प्रति संलग्नक—बी 2 के रूप में अंकित है।

सत्यनिष्ठा समझौते का कोई भी उल्लंघन बोलीदाताओं की अयोग्यता और भविष्य के व्यापार सौदों से बहिष्कार, जीएफआर, 2017, पीसी अधिनियम, 1988 और अन्य वित्तीय नियमों/दिशानिर्देशों आदि के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार होगा, जैसा भी संबंधित संगठन पर लागू हो सकता है।

अनुभाग - 4 क्षति/नुकसान/हानि के लिए क्षतिपूर्ति

- अनुभाग 3 के अनुसार यदि नियोजक बोलीकर्ता को निविदा देने के पहले अयोग्य घोषित किया है तो नियोजक नुकसान के समान बयाना जमा राशि / बोली सुरक्षा की मांग करने और उसको वसूल करने के लिए हकदार हैं ।
- 2. अनुभाग 3 के अनुसार यदि नियोजक ठेका को समाप्त किया है या अनुभाग 3 के अनुसार ठेका को समाप्त करने के लिए हकदार होते हैं तो उस स्थिति में नियोजक को ठेका मूल्य के निर्धारित नुकसान या निष्पादन बैंक गारंटी के समान राशि की मांग करने और उसको वसूल करने के लिए हकदार हैं।

अनुभाग – 5 पूर्व उल्लंघन

1. यदि बोलीकर्ता यह घोषित करता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी दृष्ठिकोण के अनुरूप होकर किसी देश के किसी अन्य कंपनी के साथ या भारत के किसी सार्वजनिक उपक्रम के साथ किसी तरह का उल्लंघन नहीं हुआ है जो उनको निविदा प्रक्रिया से बाहर करने का समर्थन कर सकें । 2. यदि बोलीकर्ता इस विषय पर गलत विवरण देता है तो उसको निविदा प्रक्रिया से (अयोग्य ठहराना) निकाल सकते है या "व्यापारिक व्यवहारों पर प्रतिबंध लगाने पर दिशा-निर्देश" में उल्लिखित कार्यविधि/प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई भी कर सकते है।

अन्भाग -6 समस्त बोलीकर्ता / ठेकेदार / उप-ठेकेदारों के साथ समान बर्ताव :

- निविदाकर्ता (ओं) / बोलीकर्ता (ओं) को अपने उप-ठेकेदारों से इस सत्यिनिष्ठा समझौता के अनुपालन के संबंध में वचनबद्धता की मांग करने का उत्तरदायित्व (या जिम्मेदारी) लेना चाहिए ।
- 2. नियोजक समस्त बोलीकर्ताओं और ठेकेदारों के साथ इस तरह के समरूपी शर्तों के साथ अन्बंध /समझौता करेंगे ।
- 3. नियोजक सतस्त बोलीकर्ताओं को जो इस समझौता पर हस्ताक्षर नहीं करते या उसके प्रावधानों का उल्लंघन करते को निविदा प्रक्रिया से निकाल देंगे / अयोग्य ठहरा देंगे ।

अन्भाग 7 – उल्लंघन करने वाले बोलीकर्ता(ओं)/ठेकेदार(रों)/उप ठेकेदार(रों) के खिलाफ आपराधिक आरोप

यदि नियोजक बोलीकर्ता, ठेकेदार या उप-ठेकेदार, या बोलीकर्ता, ठेकेदार या उप-ठेकेदार के कर्मचारी या उनके प्रतिनिधि या साझेदार आदि के आचरण / व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करते है जो भ्रष्टाचार बनता है अन्यथा यदि नियोजक को इस संबंध में वास्तविक संदेह हो तो नियोजक उसको मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेंगे ।

अनुभाग - 8 स्वतंत्र बाहरी मानीटर/मानीटर्स

- 1. नियोजक इस समझौता हेतु सक्षम एवं विश्वास-योग्य स्वतंत्र बाहरी मानीटर की नियुक्ति करता है । मानीटरकर्ता का काम यह होता है कि इस समझौते के अंतर्गत पार्टियाँ अपने दायित्वों का अनुपालन कैसे और किस हद तक करते हैं ? को स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष दृष्टि से मानीटर करेंगे ।
- 2. मानीटरकर्ता पार्टियों के प्रतिनिधियों के हिदायतों के अधीन नहीं होंगे तथा अपने कर्तव्यों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से पालन करेंगे । नियोजक को बोलीकर्ता (ओं) / ठेकेदार(रों) के जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीय रखना अनिवार्य होगा । वह एन टी सी के अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है ।
- 3. बोलीकर्ता(ओं)/ठेकेदार(रों) यह स्वीकार करते हैं कि ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त दस्तावेज सिहत नियोजक के पिरयोजना प्रलेखन को किसी भी अवरोध के बिना मूल्यांकन करने का अधिकार मानीटर के पास है। ठेकेदार भी मानीटर के अनुरोध पर संगत/ठोस रूचि/दिलचस्पी का प्रदर्शन करके अपने पिरयोजना प्रलेखीकरण के अंदर उसके अप्रतिबंध और बिनाशर्त प्रवेश को सुलभ करायेंगे। वही उप-ठेकेदारों पर भी लागू होगा। मानीटर बोलीकर्ता(ओं)/ठेकेदार(रों) के जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीय रूप से मानने के संविदात्मक दायित्व के अंतर्गत होते हैं।
- 4. नियोजक परियोजना से संबंधित पार्टियों के बीच की समस्त बैठकों से संबंधित पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करायेंगे बशर्ते कि (परन्तु) उक्त बैठकें नियोजक और ठेकेदार के बीच की संविदात्मक संबंध पर प्रभाव डाल सकता हो। पार्टियाँ मानीटर के समक्ष उक्त बैठकों में भाग लेने / सम्मिलित या शामिल होने का विकल्प सामने रखते है ।
- 5. इस समझौता के उल्लंघन को देख लेने के तुरंत बाद या देख लेने का विश्वास करता है तो वह नियोजक के प्रबंध को सूचित करेगा और प्रबंध को बंद करने या शोधक/दोष निवारक कार्रवाई करने या अन्य उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करेंगे । मानीटर इस संबंध में गैर-बंधन सिफ़ारिश प्रस्तुत कर सकता है । इसके परे, मानीटर को पार्टियों को विशेष रूप से कार्य करने हेतु कार्रवाई न करने या कार्रवाई को सहन करने की मांग करने का अधिकार नहीं है ।

- 6. मानीटर नियोजन द्वारा उनको सूचना देने या संदर्भित तारीख से 8 से 10 सप्ताह के अंतर्गत अध्यक्ष, एनटीसी को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अवसर आने पर संदिग्ध स्थितियों को सुधार करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे।
- 7. यदि मानीटर संबंधित आईपीसी/पीसी(भारतीय दंडसंहिता / दंडसंहिता) अधिनियम के अंतर्गत अपराध के प्रमाणयुक्त संदेह अध्यक्ष, एन टी सी को रिपोर्ट किये है और अध्यक्ष, एन टी सी उचित समय पर उक्त अपराध के प्रति आगे बढाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं किये है या मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट किये है, इस संबंध में मानीटर सीधे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को इस जानकारी पहुँचायेंगे।
- 8. मानीटर 'शब्द' में एकवचन और बहुवचन का दोनों रूप शामिल हो। समय समय पर अप्रनि/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे ।
- 9. कार्य सौंपे जाने के बाद, आईईएम अनुबंध के निष्पादन से संबंधित किसी भी मुद्दे को देखेंगे यदि विशेष रूप से उनके सामने उठाया जाता है। एक उदाहरण के तौर पर, यदि कोई ठेकेदार, जिसे ठेका दिया गया है, अनुबंध के निष्पादन के दौरान विलंबित भुगतान आदि का मुद्दा आईईएम के समक्ष उठाता है, तो उसकी जांच आईईएम के पैनल द्वारा की जाएगी। तथापि, आईईएम खरीद की प्रणाली में पारदर्शिता, समानता और निष्पक्षता लाने के लिए यदि आवश्यक समझे तो संबंधित संगठन के प्रबंधन में प्रणालीगत स्धार का स्झाव दे सकते हैं।

अन्भाग - 9 समझौता अवधि

दोनों पार्टियां द्वारा वैध रूप से हस्ताक्षर किये जाने के उपरांत यह समझौता आरंभ होता है । ठेकेदार के लिए ठेका के अंतर्गत या ठेका अविध (अगर लागू हो तो बढाया हुआ) जो भी बाद में हो, के अंतर्गत अंतिम भुगतान के 12 महीने के बाद समाप्त होता है और अन्य समस्त बोलीकर्ताओं के लिए ठेका दिये जाने के 6 माह के बाद समाप्त होता है ।

इस अवधि के दौरान यदि कोई भी दावा किया जाता है तो ऊपर उद्धृत इस समझौते के दोष के बावजूद वही बाध्यकारी होगा और वैध रहेगा बशर्ते अध्यक्ष, एन टी सी के द्वारा मुक्त/निर्धारित किया जाता है ।

अनुभाग – 10 – अन्य प्रावधान

- यह समझौता भारतीय कानून के अंतर्गत होगा । अनुपालन/निष्पादन का स्थान और अधिकार- क्षेत्र नियोजक के पंजीकृत कार्यालय मतलब नई दिल्ली होगा ।
- 2. आईपी (सत्यनिष्ठा समझौता) पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति यदि मामलों को स्वतंत्र बाहरी मानीटर्स को निरूपित कर चुका है तो वह न्यायालय से संपर्क नहीं करेगा और वह इस मामले में उनके फैसले का इंतजार करेगा ।
- 3. परिवर्तन एवं जोड़ और समापन की सूचना लिखित रूप में की जानी चाहिए । गौण समझौताएं नहीं किये गये हैं ।
- 4. यदि ठेकेदार साझेदारी या सहायता संघ/संकाय हो तो इस समझौता पर समस्त साझेदार या संकाय सदस्यों के हस्ताक्षरित किये जाने चाहिए ।
- 5. इस समझौते के एक या कई प्रावधान अप्रमाणिक निकलते है तो इस समझौता के बाकी अन्य प्रावधान वैध बने रहेंगे । इस मामले पर पार्टियाँ अपने वास्तविक अभिप्राय पर समझौता करने के लिए प्रयास करेंगे ।

6. सत्यनिष्ठा समझौता और उसके संलग्नक के बीच किसी भी असंगति के मामले पर सत्यनिष्ठा समझौता के खंड प्रचलित होगा ।

नियोजक के लिए औरकी ओर से

बोलीकर्ता/ठेकेदार के लिए औरकी ओर से (कार्यालय मोहर)

स्थान

दिनांक

साक्षी 1

(नाम व पता)

साक्षी 2

(नाव व पता)

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं का भारत के दलालों (एजेंटों) हेत् दिशा-निर्देश

- 1.0 समस्त वैश्विक (खुला) एवं सीमित निविदा के लिए दलालों की पंजीयन अनिवार्य होगा । जो दलाल एनटीसी में पंजीबद्ध नहीं हैं उन्हें निर्धारित आवेदन प्रपत्र में पंजीयन हेत् आवेदन करना चाहिए ।
- 1.1 पंजीकृत दलाल (एजेंट) एजेंसी समझौते को सुनिश्चित करने वाले और एजेंट द्वारा उठाये जा रहे वस्तु-स्थिति तथा एनटीसी द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व प्रमुख कार्यालय द्वारा दलाल (एजेंट) को प्रदत्त की जा रही दलाली/पारिश्रमिक/वेतन (पगार)/प्रतिधारण शुल्क को दर्शाने वाले दस्तावेजों की नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणीकृत फोटोस्टेट प्रति / मूल प्रति को प्रस्तुत करेगा ।
- 1.2 जब कभी प्रधान कार्यालय की ओर से भारतीय प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है और विदेशी पार्टियों द्वारा बताया गया है कि वे भारतीय दलालों (एजेंटों) को कोई दलाली नहीं दे रहे हैं और भारतीय प्रतिनिधि वेतन या प्रतिधारक के आधार पर काम करता है को सुनिश्चित करने के लिए लिखित घोषणा आदेश को अंतिम रूप देने के पूर्व पार्टी द्वारा (प्रमुख कार्यालय द्वारा) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 2.0. भारत में दलाल (एजेंट्स)/प्रतिनिधियों के विवरणों का प्रकटीकरण । यदि कोई हो ।
- 2.1 विदेशी राष्ट्रीयता वाले निविदाकर्ता अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित विवरण प्रस्त्त करेंगे :
- 2.1.1 भारत में दलालों / प्रतिनिधियों के नाम व पता यदि हो तो और नियंत्रक कार्यालय को वचनबद्ध होने के लिए दिये गये प्राधिकरण और अधिकार का फैलाव । एजेंट्स / प्रतिनिधियों के विदेशी कंपनी होने के मामले पर कंपनी के असली मजबूत कंपनी होने के बारे में स्निश्चित किया जाएगा और उसका विवरण प्रस्त्त किया जाएगा ।
- 2.1.2 भारत में उक्त दलाल (एजेंट्स) / प्रतिनिधियों के लिए दलाली / पारिश्रमिक उद्धृत कीमतों में शामिल है ।
- 2.1.3 भारत में दलाल (एजेंट्स) / प्रतिनिधियों को देय दलाली / पारिश्रमिक (प्रतिफल) यदि कोई हो तो उसका भुगतान एनटीसी द्वारा केवल भारतीय रुपये में दिया जाए को निविदाकर्ता स्निश्चित करेगा ।
- 2.2 भारतीय राष्ट्रीयता वाले निविदाकर्ता अपने प्रस्तावों में निम्नलिखित विवरण प्रस्त्त करेंगे :
- 2.2.1 विदेशी मूल कार्यालय का नाम व पता के साथ साथ उनकी राष्ट्रीयता तथा स्थिति मतलब क्या उत्पादक या उत्पादक के एजेंट्स निविदा के जवाब में प्रत्यक्ष रूप से या दलालों/प्रतिनिधियों द्वारा भारत में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करने वाली नियंत्रक कार्यालय द्वारा दिया गया प्राधिकार पत्रधारक है ?
- 2.2.2 निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दर (दरों) में अपने की दलाली/पारिश्रमिक राशि भी शामिल है ।
- 2.2.3 निविदाकर्ता के विदेशी नियंत्रक कार्यालय यह सुनिश्चित करेगी कि उद्धृत दर(दरों) में निविदाकर्ता को आरक्षित दलाली / पारिश्रमिक यदि हो तो, का भुगतान भारत में एनटीसी द्वारा समान भारतीय रुपये में परियोजना के संतोषजनक पूरा होने पर या प्रचलन मदों के मामले में भंडार और पुर्जी के संतोषजनक आपूर्ति किये जाने पर किया जाएगा ।
- 2.3 किसी भी स्थिति में ठेके के कार्यान्वित किये जाने पर भुगतान शर्तों में भारत में एजेंट्स / प्रतिनिधियों को देने योग्य दलाली / पारिश्रमिक यदि हो, के भुगतान का प्रावधान होगा जिसके अनुसार अनुबंध के तहत दायित्वों को प्रा किये जाने के 90 दिनों की समाप्ति पर भारतीय रुपये में किया जाएगा ।

2.4 उपर्युक्त पैरा 2.0 के मांग के अनुसार सही और विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने में चूक की स्थिति पर संबंधित निविदा अस्वीकार किया जाएगा या ठेका क्रियान्वयन के समय एनटीसी द्वारा समाप्ति के लिए अर्ह होगा। इसके अलावा एनटीसी के साथ व्यापारिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाने या क्षति उल्लिखित राशि का भ्गतान ।

व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने पर दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावाना

- 1.1. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) एजेंसीज जैसे पार्टीज / ठेकेदारों /आपूर्तिकर्ताओं / बोलीकर्ताओं के साथ कारोबार करेगी जिनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे उच्चतम मानकों के आचारनीति को अपनाने के साथ-साथ लिये गये कार्य के प्रति बहुत उच्च स्तर के अखंडता/प्रतिबद्धताएं और ईमानदारी का पालन करें । निविदा प्रक्रिया में एजेंसीज जो धोखा, छल या अन्य दुराचार करते हैं के साथ कारोबार करना एनटीसी के हित में नहीं होगा ।
- 1.2 चूँकि संबंधित एजेंसी के लिए व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध में वैधानिक/कानूनी परिणाम होने की संभावना के कारण सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना अनिवार्य है और तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी आदेश को पारित करने के पहले यदि कोई स्पष्टीकरण दिया जाता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए।

2. स्कोप (विषय-क्षेत्र)

- 2.1 बोलीकर्ताओं हेतु जानकारी/बोलीकर्ताओं हेतु अनुदेश और एनटीसी की सामान्य ठेका शर्तों में ही यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी एजेंसी दुराचार या धोखाधड़ी या किसी विख्यात ठेकेदार से अपेक्षित नहीं की जाने वाली अनैतिक व्यावहार पाया जाता है तो अनुमोदित आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों की सूची से नाम निकालने या उन एजेंसियों के साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार एनटीसी के पास स्रक्षित है।
- 2.2 (i) अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/बोलीकर्ताओं की सूची से एजेंसी को निकालना (ii) निलंबन और (iii) एजेंसियों के साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध की प्रक्रिया को इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित किया गया है :
- 2.3 यह दिशा-निर्देश एनटीसी के समस्त चालू एवं बंद मिलों / शोरूमों / फुविप्र / क्षेत्रीय कार्यालयों / उप कार्यालयों / संपर्क कार्यालयों के लिए लागू होगी ।
- 2.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि ये दिशा-निर्देश ठेकेदारों/एजेंसीज की घटिया निष्पादन पर विचार नहीं करेगी ।
- 2.5 प्रतिबंध भावी प्रभाव के साथ होगी मतलब भावी व्यापारिक लेन-देन पर ।

3. परिभाषा

जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित हो :

पार्टी / ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता / बोली लगाने वाले का अर्थ और इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, संयुक्त उद्यम, संघ, हचयूएफ, कंपनी पंजीकृत है या नहीं, किसी एक व्यक्ति, सहकारी समिति या कोई संघ संस्था या व्यक्तियों की एक समूह जो व्यापार, धंधा, उद्योग आदि में व्यस्त हो । इन दिशा-निर्देशों के संदर्भ में पार्टी / ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता / बोली लगाने वाले आदि "एजेंसी" के नाम से संकेत दिये हैं ।

- ॥. "यूनिट" यानी एनटीसी के चालू या बंद मिल / शोरूम / फुविप्र / क्षेत्रीय कार्यालय / उप कार्यालय / संपर्क कार्यालय से होगा ।
- "सक्षम प्राधिकारी" और अपीलीय प्राधिकारी का अर्थ निम्नलिखित होगा :
 - अ) एनटीसी व्यापक प्रतिबंध हेतु
 इन दिशा-निर्देशों के उद्देश्य के लिए संबंधित निदेशक सक्षम प्राधिकारी होंगे । ऐसे मामलों के संबंध में
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अपीलीय प्राधिकारी होंगे ।
 - आ) एनटीसी के चालू या बंद मिलों/शोरूमों/फु वि प्र/क्षेत्रीय कार्यालय/उप कार्यालय/संपर्क कार्यालय हेतु
 संबंधित यूनिट/उप-कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के संबंध में इन दिशा-निर्देशों के उद्देश्य के लिए यूनिट के
 प्रमुख/वित्त प्रमुख सक्षम प्राधिकारी होंगे । समस्त मामलों में संबंधित कार्यकारी निदेशक/यूनिट के क्षेत्रीय
 प्रमुख अपीलीय प्राधिकारी होंगे ।

"जांच समिति" यानी जांच करने हेत् सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी / समिति ।

 अनुमोदित एजेंसीज् अर्थात पार्टी / ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता / बोलीकर्ता किसी निविदा / ठेका / बोली हेतु एनटीसी द्वारा पूर्व योग्य पाये गये पार्टी / ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता / बोलीकर्ता की सूची से संबंधित है ।

4. प्रतिबंध / निलंबन प्रारंभ

किसी एजेंसी के साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध / निलंबन हेतु कार्रवाई बोली आमंत्रण हेतु जिम्मेदार विभाग द्वारा संबंधित एजेंसी के अनियमिताओं और कदाचार का अध्ययन करने के बाद प्रारंभ की जाएगी । इसके अलावा, संबंधित विभाग, सतर्कता विभाग आदि भी उक्त कार्रवाई प्रारंभ करने के लिये सक्षम होंगे ।

5. व्यापार (व्यापारिक) लेन - देन के निलंबन

- 5.1 यदि एनटीसी के साथ संबंध रखने वाली किसी एजेंसी के आचरण जांच पड़ताल के अधीन हो तो चाहे आरोपों (विचाराधीन) गंभीर प्रकृति के हो चाहे लंबित जांच पर सक्षम प्राधिकारी विचार करें और एजेंसी के साथ व्यापारिक गतिविधियों को जारी रखना उचित होगा । यदि, सक्षम प्राधिकारी जांच समिति की सिफारिश यदि कोई हो तो सिहत मामले पर विचार करने के बाद यह निर्णय लेती है कि लंबित जांच के दौरान व्यापारिक लेन-देन को जारी रखना कंपनी के हित में नहीं होगी तो उस एजेंसी के साथ व्यापारिक लेन-देन को रद्द कर सकते है । निलंबन आदेश छह महीने की अविध से अधिक नहीं होगी और उसे एजेंसी और जांच समिति को सूचित कर दी जाएगी । जांच समिति यह सुनिश्चत करेगी की उक्त अविध के अंतर्गत जांच पूरी होगी और अंतिम आदेश की पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होगी । फिर भी, छह माह के अंतर्गत जांच पूर्ण नहीं होती है तो सक्षम प्राधिकारी निलंबन अविध को और आगे तीन महीने तक बढ़ा सकते हैं, की अविध के दौरान जांच को पूरी होनी चाहिए ।
- 5.2 एनटीसी के समस्त विभागाध्यक्षों और यूनिट प्रमुखों को निलंबन आदेश की सूचना दे दी जाएगी जिससे वे भी यदि इंटरनेट उपलब्ध हो तो उसे प्रदर्शित कर सकें । निलंबन अविध के दौरान, एजेंसी के साथ किसी प्रकार की व्यापारिक लेन-देन नहीं होगी ।
- 5.3 जहां तक संभव हो जब तक सक्षम प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों के संबंध में अन्यथा तय करता है तब तक यथा संभव एजेंसी के साथ मौजूदा ठेका (ठेकाएं) जारी रहेगी ।

- 5.4 यदि संबंधित एजेंसी निलंबन के कारणों का विवरण पूछती है तो एजेंसी को यह सूचित किया जाएगा कि उनका आचरण विचाराधीन है । इस स्तर पर एजेंसी के साथ पत्राचार करना या वाद-विवाद करना आवश्यक नहीं है ।
- 5.5 निलंबन आदेश जारी करने के पूर्व एजेंसी को कारण बताओ नोटिस या व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस देना आवश्यक नहीं है ।

6. कारण या आधार जिस पर व्यापारिक लेन देन को बंद किया जा सकता है।

- 6.1 एनटीसी के प्रति एजेंसी की निष्ठा संबंधित सवाल सहित यदि स्रक्षा महत्व के औचित्य स्थापन पर ।
- 6.2 यदि कंपनी के निदेशक (सरकारी कंपनी को छोड़कर) / एजेंसी के मालिक, कंपनी के मालिक या साझेदार अदालत द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकारी या किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ व्यापारिक लेनदेन के संबंध में नैतिक पतन / अधमता के मामले पर दोषी ठहराये जाने के मामले पर ।
- 6.3 यदि भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा एजेंसी के साथ व्यापारिक लेनदेन पर प्रतिबंध लगाये जाने पर ।
- 6.4 यदि कंपनी तथ्यों का गलत ब्यौरा देने सहित भ्रष्ट, धोखाधड़ी क्रियाओं का सहारा लेती तो ।
- 6.5 यदि एजेंसी ठेके के अधीन काम की स्वीकृति / निष्पादन के लिए एनटीसी पर या एनटीसी के अधिकारियों पर धमकी / डराना या अन्चित रूप से बाहरी दबाव का उपयोग करेगी तो ।
- 6.6 यदि एजेंसी एनटीसी के परिसर या सुविधाएं/सामग्री के दुरुपयोग करने पर, जमीन, जल संसाधन, जंगल/वन/पेड़ (वृक्ष) जैसे एनटीसी की परिसंपत्तियों पर जबरदस्ती कब्जा या क्षति पहुंचाने पर। (टिप्पणी: ऊपर दिये गये उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं परिपूर्ण नहीं हैं । सक्षम प्राधिकारी किसी अच्छा और पर्याप्त कारण हेतु व्यापारिक लेनदेन पर पाबंदी लगाने पर निर्णय करेगा ।

7. व्यापारिक लेनदेन पर प्रतिबंध लगाना ।

- 7.1 किसी एजेंसी के साथ व्यापिशक लेनदेन पर प्रतिबंध/रोक पर निर्णय आमतौर पर एनटीसी भर में लागू होगा । फिर भी, विशेष मामले में संबंधित मिल द्वारा एजेंसी पर प्रतिबंध लगाना उस मिल की उद्देश्य की पूर्ति में और लक्ष्य प्राप्ति में सहायता या मदद करेगी तो और स्थानीय स्थितियों और दुराचार / चूक की यूनिट से परे प्रभाव पर ध्यान रखते हुए पूरे कंपनी पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक नहीं की स्थिति में यूनिट मिल के सक्षम प्राधिकारी कथित प्रतिबंध को केवल यूनिटवार लागू कर सकते हैं ।
- 7.2 व्यापारिक लेनदेन पर प्रतिबंध संबंधित मामलों के निपटान हेतु या प्रतिबंध संबंधित मामलों पर कार्यवाही करने के लिए प्रत्येक इकाई में यूनिट प्रमुख द्वारा जांच समिति की नियुक्ति किया जाना चाहिए। फिर भी, निगम कार्यालय स्तर पर मदों के क्रय/ठेका (संविदा) प्रदान करने के लिए गठित समिति में इंडेंटिंग डिवीजन/वित्त विभाग से विरष्ठ प्रबंधक पद के नीचे नहीं होने वाले अधिकारी शामिल होंगे। बोलियों के लिए निमंत्रण देने के लिए जिम्मेदार विभाग के सदस्य समिति के संयोजक होंगे। अन्य बातों के साथ-साथ समिति की गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - अ) बोली आमंत्रण हेतु जिम्मेदार विभाग की रिपोर्ट का अध्ययन करके प्रतिबंध लगाने के लिए प्रथम दृष्टि पर आधारित मामला मौजूद हो तो निर्णय लेना अगर नहीं तो सक्षम प्राधिकारी को मामला को वापस भेजना ।

- आ) धारा 9.1 के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा एजेंसी को कारण बताओं नोटिस जारी करवाने हेतु सिफारिश करना ।
- इ) कारण बताओं नोटिस के लिए प्राप्त उत्तर का परीक्षण करना और जरूरत पड़ने पर एजेंसी को व्यक्तिगत स्नवाई के लिए ब्लाना ।
- ई) प्रतिबंध लगाने पर या अन्यथा सक्षम प्राधिकारी को अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करना ।

8. अन्मोदित एजेंसियों की सूची से आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार आदि का निष्कासन

- 8.1 यदि सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि एजेंसी के खिलाफ आरोप मामूली प्रकृति के है, वे क्यों एजेंसी के नाम को अनुमोदित एजेंसियों की सूची में से आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/बोलीकर्ता आदि से नहीं निकाल दिया जाए ? के बारे में कारण बताओं नोटिस जारी कर सकते है ।
- 8.2 उक्त आदेश का प्रभाव यह होगा कि आदेश में निर्धारित अविध तक एजेंसी खुली निविदा पूछताछ में या सीमित निविदा पूछताछ में प्रतिस्पर्धा के लिए अर्ह नहीं होगी ।
- 8.3 अनुबंध देने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करते समय एजेंसी के पिछले निष्पादन को भी ध्यान में लेना चाहिए ।

9. कारण बताओ नोटिस

- 9.1 यदि, एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी फैसला (निर्णय) करता है तो एजेंसी को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाना चाहिए और कारण बताओं नोटिस में दुराचार या कदाचार के आरोपयुक्त विवरण को जोड़ा जा सकता है और एजेंसी को अपने बचाव में एक लिखित बयान को 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए ।
- 9.2 यदि, एजेंसी एनटीसी के कब्जे वाले किसी एक प्रासंगिक (संबंधित) दस्तावेज के निरीक्षण के लिए अनुरोध करती है तो दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आवश्यक स्विधा प्रदान किया जा सकता है।
- 9.3 सक्षम प्राधिकारी इस पर विचार करके उपय्क्त सकारण आदेश पारित कर सकते हैं :
 - अगर आरोप/दोषारोप प्रमाणित/सिद्ध नहीं किये जाते हैं तो एजेंसी को बहाल करने या दोषमुक्त करने के निया
 - आ) अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों की सूची से एजेंसी को हटाने के लिए
 - इ) एजेंसी के साथ व्यापारिक लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने के लिए
- 9.4 यदि व्यापारिक लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया जाता है तो जिस अविध के लिए प्रतिबंध प्रभावशील होगा उसका उल्लेख किया जा सकता है ।
- 9.5 यूनिटवार प्रतिबंध केवल छह महीने की अविध के लिए किया जा सकता है और छह महीने से ज्यादा अविध तक का प्रतिबंध व्यापक होना चाहिए अर्थात सभी इकाइयों के लिए । सभी इकाइयों में छह महीने से ज्यादा अविध तक के व्यापक प्रतिबंध के मामले पर (केंद्रीय कार्यालय/निगम कार्यालय/कारपोरेट कार्यालय के निदेशक (वित्त) के अनुमोदन के उपरांत किया जाना चाहिए ।

10. सक्ष्म प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील

- 10.1 सक्षम प्राधिकारी के व्यापारिक लेनदेन प्रतिबंध आदि के आदेश के खिलाफ एजेंसी अपील दर्ज कर सकते हैं । अपील अपीलीय प्राधिकारी को दर्ज की जाएगी । उक्त अपील व्यापारिक लेनदेन पर प्रतिबंध आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर अधिमानित होगी ।
- 10.2 अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करेंगे और 120 दिनों के भीतर समुचित आदेश पारित करेंगे जो एजेंसी के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी को भी सूचित कर दिया जाएगा ।

11. जिन एजेंसियों के साथ व्यापारिक लेनदेन पर प्रतिबंध लगाये गये हैं उन एजेंसियों के नामों का परिचलन:

संबंधित यूनिट प्रतिबंधित एजेंसी/एजेंसियों के नाम व अन्य विवरणों को केंद्रीय कार्यालय के आईटी तथा सी विभाग को एनटीसी वेबसाट में उसको प्रदर्शन कराने के लिए अग्रेषित करेगा।

अष्ट, धोखाधड़ी, कपटपूर्ण या निग्राहिता व्यवहार की नीति

बोलीकर्ताओं / बोलीदाताओं / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों से यह उम्मीद की जाती है कि वे उक्त ठेके की प्राप्ति और क्रियान्वयन में नैतिकता के सर्वोच्च मानक का पालन करेंगे । इस नीति के अनुसरण में :

- अ) इस धारा के उद्देश्यों के लिए नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ निम्नलिखित होगा :-
- 1) "भ्रष्ट व्यवहार" का मतलब ठेका प्राप्ति प्रक्रम (प्रक्रिया) में या अनुबंध क्रियान्वयन के दौरान सार्वजनिक अधिकारी की कार्रवाई पर प्रभाव डालने के लिए किसी मूल्य और या व्यक्तिगत संतुष्टि के कुछ भी भेंट, देना, प्राप्त करना या मांगना और
- 2) "धोखाधड़ी" का मतलब ग्राहक को हानि पहुंचाने हेतु खरीदी प्रक्रिया में या ठेका क्रियान्वयन में प्रभाव डालने के लिए तथ्यों का गलत ब्यौरा देना और इसमें बोली की कीमतों को बनावटी और गैर-प्रतियोगी स्तरों में सिद्ध करने के लिए और खरीदार को स्वतंत्र और खुली प्रतियोगिता के हितलाभों से वंचित करने के लिए संगठनात्मक प्रथा को अपनाना भी शामिल होती है।
- 3) "संगठनात्मक प्रथा" का मतलब खरीदार की जानकारी के साथ या जानकारी के बिना बोली कीमतों को बनावटी और गैर-प्रतियोगी स्तरों में स्थापित करने के लिए दो या दो से अधिक बोलीकर्ताओं के बीच होने वाली योजना या व्यवस्था से है। और
- 4) "निग्राहिता प्रथा" का मतलब अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए किसी व्यक्ति या उसकी परिसंपत्ति को प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से क्षति पहुंचाना या क्षति पहुंचाने के लिए धमकाना है ।
- 5) "सत्यनिष्ठा समझौता" का मतलब निविदा / अनुबंध के किसी पहलू / स्वरूप पर किसी तरह का भ्रष्ट प्रभाव का प्रयोग न करने के लिए ठेकेदार और नियोक्ता के बीच व्यक्तियों और अधिकारियों को वचनबद्ध हो जाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा । इस सत्यनिष्ठा समझौते के अधीन के दायित्व के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियोक्ता द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाह्य जांचकर्ता(ओं) (आईईएम) द्वारा निरीक्षण किया जाएगा ।
- 6) स्वतंत्र बाहय जांचकर्ता(ओं) (आईईएम) का मतलब सत्यनिष्ठा समझौते के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए नियोक्ता द्वारा नियुक्त बाहय जांचकर्ता(ओं) से है ।

- आ) यदि बोली के किसी स्तर पर यह निर्धारित किया जाता है कि संबंधित बोलीकर्ता ने प्रश्न के अधीन अनुबंध हेतु प्रतिस्पर्धा करते समय उपर्युक्त सत्यनिष्ठा समझौते के अंतर्गत बोलीकर्ता ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, कपटपूर्ण और निग्राहिता प्रथाओं में या चूक प्रतिबद्धताओं में लिप्त हो गये है तो खरीदार द्वारा बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
- इ) खरीदार द्वारा किसी एक फर्म को या तो अनिश्चित समय तक या निंधीरित अविध तक अपात्र घोषित किया जा सकता है यदि किसी समय यह निर्धारित किया जाता है कि ठेका के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय या क्रियान्वयन करते समय सत्यनिष्ठा समझौते के अंतर्गत बोलीकर्ता ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, कपटपूर्ण और निग्राहिता प्रथाओं में या चूक प्रतिबद्धताओं में लिप्त हो गये है।
- ई) व्यापारिक लेनदेन पर प्रतिबंध: निविदा प्रोसेज के समय धोखा, प्रवंचना या अन्य दुराचार करने वाले एजेंट के साथ काम करना एन टी सी के हित में नहीं है । व्यापारिक लेनदेन पर प्रतिबंध निम्नलिखित कारणों से प्रारंभ किये जा सकते है :
- 1) एनटीसी के प्रति एजेंसी की वफादारी के सवाल सहित सुरक्षा महत्व के आधार पर
- 2) एजेंसी के निदेशक / मालिक, फार्म के मालिक या सहभागी के पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ व्यापारिक लेनदेन के संबंध में नैतिक अधमता के अपराध के मामले पर न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये जाने पर
- 3) भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय या भारत सरकार के अन्य किसी एक विभाग द्वारा एजेंसी के साथ व्यापारिक लेनदेन पर पाबंदी लगाये जाने पर
- 4) यदि एजेंसी तथ्यों का गलत ब्योरा देने सहित भ्रष्ट, धोखाधड़ी का सहारा लिये जाने पर
- 5) अनुबंध के अंतर्गत काम / निष्पादन को स्वीकार करने हेतु एनटीसी पर या उसके अधिकारियों पर एजेंसी द्वारा धमकी देना / डराना या अन्चित बाहरी दबाव का प्रयोग करने पर
- 6 यदि एजेंसी एनटीसी के परिसर या सुविधाएं / सामग्री के दुरुपयोग करने, जमीन, जल संसाधन, जंगल / वन / पेड़ (वृक्षा) जैसे एनटीसी की परिसंपत्तियों पर जबरदस्ती कब्जा या क्षति पहुंचाने पर । (टिप्पणी : ऊपर दिये गये उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं परिपूर्ण नहीं हैं । सक्षम प्राधिकारी किसी अच्छा और पर्याप्त कारण हेतु व्यापारिक लेनदेन पर पाबंदी लगाने पर निर्णय करेगा ।
- 7) लेनदेन में जहां एनटीसी विक्रेता है और क्रेता शब्द विक्रेता शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है माना जाएगा और इसका उलटा ।

व्यापारिक लेनदेन पर प्रतिबंध हेतु पद्धिति में एनटीसी व्यापारिक लेनदेन पर प्रतिबंध पर दिशा-निर्देश के अनुसार जो अलग से संलग्न है के अधीन होगी । (सलंग्नग ए 2)

विषय: सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाना ।

एनटीसी में सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने के लिए निम्नलिखित सूचना उपयुक्त है ।

1. वर्ष 2013-14 के लिए यह अनुमानित किया जाता है कि कंपनी की कुल बिक्री लगभग 1222 करोड़ रुपये होगी ।

- 2. कच्चा माल, पैकिंग सामग्री, साइजिंग सामग्री और माल और पुर्जे संबंधित राजस्व खर्च लगभग 790 करोड रुपये होगी ।
- 3. दिशा-निर्देशानुसार 90-95 प्रतिशत खरीद लागत कथित समझौते के अंतर्गत कवर करने की जरूरत है । मतलब वर्ष 2013-14 हेत् लगभग 750 करोड़ रुपये राजस्व खर्च के रूप में कवर करने की जरूरत है ।
- 4. उपर्युक्त कथित खर्च 790 करोड़ रुपये में कच्चे माल के साथ-साथ अर्थ-समाप्त सामग्री और समाप्त सामग्री का क्रय लगभग 752 करोड़ रुपये है । इस प्रकार, उपर्युक्त समझौते के अंतर्गत कुल कच्ची सामग्री के क्रय को कवर कर सकते है ।
- 5. एनटीसी 100 बेल्स की कच्चा माल प्रति कैंडी 30,000 से 40,000 रुपये भाव में खरीदती है, प्रति क्रय / अनुबंध के लिए कच्चा माल क्रय के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रारंभिक सीमा निर्धारित किया जाता है ।
- 6. अन्य प्रकार के माल और सेवा क्रय के रूप में कंपनी जो करती है वह संयंत्र और मशीनरी आदि के रूप में पूँजीगत व्यय के रूप में करती है। मशीनरी मूल्य और उक्त क्रय 2 लाख रुपये से 1 लाख रुपये तक व्याप्त होती है। इस प्रकार, उक्त क्रय प्रक्रियाओं में, प्रति आदेश के लिए प्रारंभिक सीमा 10 लाख रू. का है।
- 7. पूँजीगत व्यय में प्रमुख घटक सिविल कार्य है । कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सिविल कार्य के लिए प्रारंभिक सीमा 25 लाख रुपये में निर्धारित किया जा सकता है ।
- 8. कंपनी की प्रमुख खंड फुटकर विपणन प्रभाग द्वारा बिह:स्रोतन उपाय के रूप में क्रय की जाने वाली समाप्त माल है। हर समय 200 पीस का न्यूनतम आदेश को देखते हुए फुटकर विपणन विभाग हेतु प्रारंभिक मूल्य को 10 लाख रुपये में निर्धारित किया जा सकता है।
- 9. क्रय के अलावा किसी एक पार्टी के साथ हरेक बिक्री लेनदेन जो निर्धारित मूल्य से अधिक हो तो उसे सत्यनिष्ठा समझौते के अंतर्गत लाना चाहिए और इस के लिए एक विशिष्ट खंड को बिक्री अनुबंध में ही लगाया जा सकता है उपर्युक्त मूल्य से ज्यादा होने वाले लेनदेन के मामले पर वह सत्यनिष्ठा समझौते के अंतर्गत लाया जाएगा । हरेक घरेलू लेनदेन के लिए प्रारंभिक सीमा 10 लाख रुपये में निर्धारित किया जाता है और निर्यात अनुबंध के लिए 5 लाख रुपये ।
- 10. उपर्युक्त के अलावा जमीन से संबंधित समस्त मामलों में समस्त पट्टे पर दी परिसंपितयों की रिहाई या किसी अन्य मामला जो अप्रनि द्वारा उपयुक्त के रूप में समझा जाता है को भी सत्यनिष्ठा समझौते के अंतर्गत लाया जाएगा।

INTEGRITY PACT

Between

National Textile Corporation Limited (NTC) hereinafter referred to as "The Principal" and hereinafter referred to as "The Bidder/Contractor"

Preamble

In order to achieve these goals, the Principal will appoint an Independent External Monitor (IEM), who will monitor the tender process and the execution of the contract for compliance with the principles mentioned above.

Section 1- Commitments of the Principal

- 1. The Principal commits itself to take all measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles:
 - a. No employee of the Principal, personally or through family members, will in connection with the tender for or the execution of a contract, demand, take a promise for or accept, for self or third person, any material or immaterial benefit which the person is not legally entitled to.
 - b. The Principal will, during the tender process treat all Bidder(s) with equity and reason. The Principal will in particular, before and during the tender process, provide to all Bidder(s) the same information and will not provide to any Bidder(s) confidential/additional information through which the Bidder(s) could obtain an advantage in relation to the tender process or the contract execution.
 - c. The Principal will exclude from the process all known prejudiced persons.
- 2. If the Principal obtains information on the conduct of any of its employees which is a criminal offence under the IPC/PC Act, or if there be a substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the Chief Vigilance Officer and in addition can initiate disciplinary actions.

Section 2- Commitments of the Bidder(s)/contractor(s)

- 1. The Bidder(s)/Contractor(s) commit themselves to take all measures necessary to prevent corruption. He commits himself to observe the following principles during his participation in the tender process and during the contract execution.
 - a. The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm, offer, promise or give to any of the Principal's employees involved in the tender process or the execution of the contract or to any third person any material or other benefit which he/she is not legally entitled to, in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever during the tender process or during the execution of the contract.
 - b. The Bidder(s)/ Contractor(s) will not enter with other Bidders into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contracts, submission or non-submission of bids or any other actions to restrict competitiveness or to introduce cartelization in the bidding process.
 - c. The Bidder(s/Contractor(s) will not commit any offence under the relevant IPC/PC Act; further the Bidder(s)/contractor(s) will not use improperly, for purposes of competition or personal gain, or pass on to others, any information or document provided by the Principal as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained or transmitted electronically.
 - d. The Bidder(s) /Contractors(s) of foreign origin shall disclose the name and address of the Agents/representatives in India, if any. Similarly the Bidder(s)/Contractors(s) of Indian Nationality shall furnish the name and address of the foreign principals, if any. Further details as mentioned in the "Guidelines on Indian Agents of Foreign Suppliers" shall be disclosed by the Bidder(s)/Contractor(s). Further, as mentioned in the Guidelines all the payments made to the Indian agent/representative have to be in Indian Rupees only. Copy of the "Guidelines on Indian Agents of Foreign Suppliers" is placed at **Annexure-B1**.

- e. The Bidder(s)/Contractor(s) will, when presenting his bid, disclose any and all payments he has made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the award of the contract.
- (2) The Bidder(s)/Contractor(s) will not instigate third persons to commit offences outlined above or be an accessory to such offences.

Section 3- Disqualification from tender process and exclusion from future contracts.

If the Bidder(s)/Contractor(s), before award or during the execution has committed a transgression through a violation of Section 2, above or in any other form such as to put his reliability or credibility in question, the Principal is entitled to disqualify the Bidder(s)/Contractor(s) from the tender process or take action as per the procedure mentioned in the "Guidelines on Banning of Business Dealings". Copy of the "Guidelines on Banning of Business Dealings" is annexed and marked as **Annexure-B2**.

Any violation of Integrity Pact would entail disqualification of the bidders and exclusion from future business dealings, as per the existing provisions of GFR, 2017, PC Act, 1988 and other Financial Rules/Guidelines etc. as may be applicable to the organization concerned.

Section 4- Compensation for Damages

- If the Principal has disqualified the Bidder(s) from the tender process prior to the award according to Section 3, the Principal
 is entitled to demand and recover the damages equivalent to Earnest Money Deposit / Bid Security.
- 2. If the Principal has terminated the contract according to Section 3, or if the Principal is entitled to terminate the contract according to section 3, the Principal shall be entitled to demand and recover from the Contractor liquidated damages of the Contract value or the amount equivalent to Performance Bank Guarantee.

Section 5 – Previous transgression

- The Bidder declares that no previous transgressions occurred in the last three years with any other Company in any country conforming to the anti- corruption approach or with any other Public Sector Enterprise in India that could justify his exclusion from the tender process.
- 2. If the Bidder makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the tender process or action can be taken as per the procedure mentioned in "Guidelines on Banning of Business Dealings."

Section 6 - Equal treatment of all Bidders / Contractors / Subcontractors

- The Bidder(s)/ Contractor(s) undertake(s) to demand from his subcontractors a commitment in conformity with this Integrity
 Pact.
- 2. The Principal will enter into agreements with identical conditions as this one with all Bidders and Contractors.
- 3. The Principal will disgualify from the tender process all bidders who do not sign this Pact or violate its provisions.

Section 7 – Criminal charges against violating Bidder(s) /Contractor(s) /Subcontractor(s)

If the Principal obtains knowledge of conduct of a Bidder, Contractor or Subcontractor, or of an employee or a representative or an associate of a Bidder, Contractor or Subcontractor which constitutes corruption, or if the Principal has substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the same to the Chief Vigilance Officer.

Section 8 - Independent External Monitor / Monitors

- 1. The Principal appoints competent and credible Independent External Monitor for this Pact. The task of the Monitor is to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this agreement.
- 2. The Monitor is not subject to instructions by the representatives of the parties and performs his functions neutrally and independently. It will be obligatory for him to treat the information and documents of the Bidder(s)/Contractors as confidential. He reports to the Chairman, NTC.
- 3. The Bidder(s)/Contractor(s) accepts that the Monitor has the right to access without restriction to all Project documentation of the Principal including that provided by the Contractor. The Contractor will also grant the Monitor, upon his request and demonstration of a valid interest, unrestricted and unconditional access to his project documentation. The same is applicable to Subcontractors. The Monitor is under contractual obligation to treat the information and documents of the Bidder(s)/ Contractor(s)/Subcontractor(s) with confidentiality.

- 4. The Principal will provide to the Monitor sufficient information about all meetings among the parties related to the Project provided such meetings could have an impact on the contractual relations between the Principal and the Contractor. The parties offer to the Monitor the option to participate in such meetings.
- 5. As soon as the Monitor notices, or believes to notice, a violation of this agreement, he will so inform the Management of the Principal and request the Management to discontinue or take corrective action, or to take other relevant action. The monitor can in this regard submit nonbinding recommendations. Beyond this, the Monitor has no right to demand from the parties that they act in a specific manner, refrain from action or tolerate action.
- 6. The Monitor will submit a written report to the Chairman, NTC within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the *Principal* and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.
- 7. If the Monitor has reported to the Chairman, NTC, a substantiated suspicion of an offence under relevant IPC/PC Act, and the Chairman NTC has not, within the reasonable time taken visible action to proceed against such offence or reported it to the Chief Vigilance Officer, the Monitor may also transmit this information directly to the Central Vigilance Commissioner.
- 8. The word 'Monitor' would include both singular and plural. Monitor would be entitled to receive such compensation as may be decided time to time by the CMD/Competent Authority.
- 9. After award of work, the IEMs shall look into any issue relating to execution of contract, if specifically raised before them. As an illustrative example, if a contractor, who has been awarded the contract, during the execution of contract, raises issue of delayed payment etc. before the IEMs, the same shall be examined by the panel of IEMs. However, the IEMs may suggest systemic improvements to the management of the organization concerned, if considered necessary, to bring about transparency, equity and fairness in the system of procurement.

Section 9 - Pact Duration

This Pact begins when both parties have legally signed it. It expires for the Contractor 12 months after the last payment under the contract or contract period (extended if applicable) whichever is later and for all other Bidders 6 months after the contract has been awarded.

If any claim is made / lodged during this time, the same shall be binding and continue to be valid despite the lapse of this pact as specified above, unless it is discharged/determined by Chairman of NTC.

Section 10 - Other provisions

- 1. This agreement is subject to Indian Law. Place of performance and jurisdiction is the Registered Office of the Principal, i.e. New Delhi.
- That a person signing IP shall not approach the courts while representing the matters to IEMS and he/she will await their decision in the matter.
- 3. Changes and supplements as well as termination notices need to be made in writing. Side agreements have not been made.
- 4. If the Contractor is a partnership or a consortium, this agreement must be signed by all partners or consortium members.
- 5. Should one or several provisions of this agreement turn out to be invalid, the remainder of this agreement remains valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.
- 6. In the event of any contradiction between the Integrity Pact and its Annexure, the Clause in the Integrity Pact will prevail."

(For & On behalf of the Principal) (Office Seal)	(For & On behalf of Bidder/Contractor) (Office Seal)
Place Date	
Witness 1 : (Name & Address)	
Witness 2 : (Name & Address)	

GUIDELEINES FOR INDIAN AGENTS OF FOREIGN SUPPLIERS

- 1.0 There shall be compulsory registration of agents for all global (Open) Tender and limited Tender. An agent who is not registered with NTC shall apply for registration in the prescribed Application-Form.
- 1.1 Registered agents will file an authenticated Photostat copy duly attested by a Notary Public/Original certificate of the principal confirming the agency agreements and giving the status being enjoyed by the agent and the Commission/remuneration/salary/retainer ship being paid by the principal to the agent before the placement of order by NTC.
- 1.2 Wherever Indian representatives have communicated on behalf of their principals and the foreign parties have stated that they are not paying any commission to the Indian agents, and the Indian representative is working on the basis of salary or as retainer, a written declaration to this effect should be submitted by the party (i.e Principal) before finalizing the order.

2.0 DISCLOSURE OF PARTICULARS OF AGENTS/REPRESENTATIVES IN INDIA.IF ANY.

- 2.1 Tenderers of Foreign nationality shall furnish the following details in their offer.
- 2.1.1 The name and address of the agents/representatives in India, if any and the extent of authorization and authority given to commit the Principals. In case the agents/representatives be a foreign Company, it shall be confirmed whether it is real substantial Company and details of the same shall be furnished.
- 2.1.2 The amount of commission /remuneration included in the quoted price(s) for such agents /representatives in India.
- 2.1.3 Confirmation of the Tenderer that the commission / remuneration if any, payable to his agents/representatives in India, may be paid by NTC in Indian Rupees Only.
- 2.2 Tenderers of Indian Nationality shall furnish the following details in their Offers.
- 2.2.1 The name and address of the foreign principals indicating their nationality as well as their status, i.e. whether manufacturer or agents of manufacturer holding the Letter of Authority of the Principal specifically authorizing the agent to make an offer in India in response to Tender either directly or through the agents/representatives.
- 2.2.2 The amount of commission/remuneration included in the price(s) quoted by the Tenderer for himself.
- 2.2.3 Confirmation of the foreign principals of the Tenderer that the commission/remuneration, if any, reserved for the Tenderer in the quoted price(s), may be paid by NTC in India in equivalent Indian Rupees on satisfactory completing of the Project or supplies of Stores and Spares in case of operation items.
- 2.3 In either case, in the event of contract materializing, the terms of payment will provide for payment of the commission/remuneration, if any payable to the agents /representatives in India in Indian Rupees on expiry of 90 Days after the discharge of the obligations under the contract.
- 2.4 Failure to furnish correct and detailed information as called for in paragraph-2.0 above will render the concerned tender liable to rejection or in the event of a contract materializing, the same liable to termination by NTC. Beside this there would be a penalty of banning business dealing with NTC or damage or payment of a named sum.

Guidelines on Banning Business Dealings

1. Introduction

- 1.1. National Textile Corporation Limited (NTC) deals with Agencies viz. parties/ contractors/ suppliers/ bidders, who are expected to adopt ethics of highest standards and a very high degree of integrity, commitments and sincerity towards the work undertaken. It is not in the interest of NTC to deal with Agencies who commit deception, fraud or other misconduct in the tendering process.
- 1.2. Since banning of business dealings involves civil consequences for an Agency concerned, it is incumbent that adequate opportunity of hearing is provided and the explanation, if tendered, is considered before passing any order in this regard keeping in view the facts and circumstances of the case.

2. Scope

- 2.1 The Information for Bidders/ Instruction to Bidders and even the General Conditions of Contract (GCC) of NTC generally provide that NTC shall have the rights to remove from list of approved suppliers / contractors or to ban business dealings if any Agency has been found to have committed misconduct or fraud or anything unethical not expected from a reputed contractor.
- 2.2 The procedure of (i) Removal of Agency from the List of approved suppliers / contractors/bidders; (ii) Suspension and (iii) Banning of Business Dealing with Agencies, has been laid down in these guidelines.
- 2.3 These guidelines shall apply to all the Mills whether operational or closed/showrooms/RMDs/Regional Offices/Sub Offices/Liaison Office of NTC.
- 2.4 It is clarified that these guidelines do not deal with the poor performance of the contractors/ Agencies.
- 2.5 The banning shall be with prospective effect, i.e. future business dealings.

3. Definitions

In these Guidelines, unless the context otherwise requires:

- I. "Party / Contractor / Supplier / Bidders" shall mean and include a public limited company or a private limited company, a joint Venture, Consortium, HUF, a firm whether registered or not, an individual, cooperative society or an association or a group of persons engaged in any commerce, trade, industry, etc. "Party / Contractor/ Supplier / Bidder' in the context of these guidelines is indicated as 'Agency'.
- II. "Unit" shall mean the Mills whether operational or closed/showrooms/RMDs/Regional Offices/Sub Offices/Liaison Office of NTC.
- III. "Competent Authority" and 'Appellate Authority' shall mean the following:
 - a) For NTC Wide Banning

The concerned director shall be the 'Competent Authority' for the purpose of these guidelines. CMD shall be the 'Appellate Authority' in respect of such cases.

b) For Mills whether operational or closed/showrooms/RMDs/Regional Offices/Sub Offices/Liaison Office of NTC.

Head of the Unit/Head of Finance shall be the 'Competent Authority' for the purpose of these guidelines, in respect of concerned unit/Sub-office/Regional Office. The concerned Executive Director/ Regional Head of the Unit/ Region shall be the 'Appellate Authority' in all such cases.

- IV. "Investigating Committee" shall mean any Officer/Committee appointed by Competent Authority to conduct investigation.
- V. "Approved Agencies viz. Parties / Contractors / Suppliers/Bidders" shall mean and include list of Parties/ Contractors / Suppliers / Bidders etc, who have been pre-qualified by NTC for any tender/contract/bid.

4. Initiation of Banning / Suspension

Action for banning /suspension business dealings with any Agency shall be initiated by the department responsible for invitation of bids after noticing the irregularities or misconduct on the part of Agency concerned. Besides the concerned department, Vigilance Department may also be competent to initiate such action.

5. Suspension of Business Dealings.

If the conduct of any Agency dealing with NTC is under investigation, the Competent Authority may consider whether the allegations (under investigation) are of a serious nature and whether pending investigation, it would be advisable to continue business dealing with the Agency. If the Competent Authority, after consideration of the matter including the recommendation of the Investigating Committee, if any, decides that it would not be in the interest to continue business dealings pending investigation, it may suspend business dealings with the Agency. The order of suspension would operate for a period not more than six months and may be communicated to the Agency as also to the Investigating Committee. The Investigating Committee may ensure that their investigation is completed and whole process of final order is over within such period. However, if investigations are not completed in six months time, the Competent Authority may extend the period of suspension by another three months, during which period the investigations must be completed.

- 5.2 The order of suspension shall be communicated to all Departmental Heads of NTC and Heads of the Units, which would also be displayed on Intranet, if available. During the period of suspension, no business dealing may be held with the Agency.
- As far as possible, the existing contract(s) with the Agency may continue unless the Competent Authority, having regard to the circumstances of the case, decides otherwise.
- If the Agency concerned asks for detailed reasons of suspension, the Agency may be informed that its conduct is under investigation. It is not necessary to enter into correspondence or argument with the Agency at this stage.
- 5.5 It is not necessary to give any show-cause notice or personal hearing to the Agency before issuing the order of suspension.

6. Ground on which Banning of Business Dealings can be initiated

- 6.1 If the security consideration, including questions of loyalty of the Agency to NTC so warrants;
- 6.2 If the Director of a company (other than Govt. company) /owner of the Agency, proprietor or partner of the firm, is convicted by a Court of Law for offences involving moral turpitude in relation to its business dealings with the Government or any other public sector enterprises, during the last five years;
- 6.3 If business dealings with the Agency have been banned by the Ministry of Textiles, Government of India.
- 6.4 If the Agency has resorted to corrupt, fraudulent practices including misrepresentation of facts;
- 6.5 If the Agency uses intimidation / threatening or brings undue outside pressure on NTC or its official for acceptance / performances of the job under the contract;
- 6.6 If the Agency misuses the premises or facilities of the NTC, forcefully occupies or damages the NTC's properties including land, water resources, forests / trees or tampers with documents/records etc. (Note: The examples given above are only illustrative and not exhaustive. The Competent Authority may decide to ban business dealing for any good and sufficient reason).

7. Banning of Business Dealings

- A decision to ban business dealings with any Agency shall normally apply throughout NTC. However, the Competent Authority of the Unit can impose such ban unit-wise only if in the particular case banning of business dealings by respective Unit will serve the purpose and achieve its objective and banning throughout the Company is not required in view of the local conditions and impact of the misconduct / default to beyond the Unit. Any ban imposed by Corporate Office shall be applicable across all Units of NTC.
- 7.2 There will be an Investigating Committee in each Unit to be appointed by Head of the Unit for processing the cases of "Banning of Business". However, for procurement of items /award of contracts at Corporate Office, the committee shall consist of officers not below the rank of Senior Manager from Indenting Division & Finance. Member from department responsible for invitation of bids shall be the convener of the committee. The functions of the committee shall, inter-alia include:
 - i) To study the report of the department responsible for invitation of bids and decide if a prima-facie case for banning exists, if not, send back the case to the Competent Authority.
 - ii) To recommend for issue of show-cause notice to the Agency by the concerned department as per clause 9.1.
 - iii) To examine the reply to show-cause notice and call the Agency for personal hearing, if required.
 - iv) To submit final recommendations to the Competent Authority for banning or otherwise.

8. Removal from List of Approved Agencies - Suppliers/ Contractors, etc.

- 8.1 If the Competent Authority decides that the charge against the Agency is of a minor nature, it may issue a show-cause notice as to why the name of the Agency should not be removed from the list of approved Agencies Suppliers / Contractors/Bidders etc.
- The effect of such an order would be that the Agency would not be qualified for competing in Open Tender Enquiries or Limited Tender Enquiries till the period mentioned in the order.

Past performance of the Agency may be taken into account while processing for approval of the Competent Authority for awarding the contract.

9. Show-cause Notice

- 9.1 In case where the Competent Authority decides that action against an Agency is called for, a show-cause notice has to be issued to the Agency, Statement containing the imputation of misconduct or misbehavior may be appended to the show-cause notice and the Agency should be asked to submit within 15 days a written statement in its defence.
- 9.2 If the Agency requests for inspection of any relevant document in possession of NTC, necessary facility for inspection of documents may be provided.
- 9.3 The Competent Authority may consider and pass an appropriate speaking order:
 - a) For exonerating the Agency if the charges are not established;
 - b) For removing the Agency from the list of approved Suppliers/Contactors, etc.
 - c) For banning the business dealing with the Agency.
- 9.4 If it decides to ban business dealings, the period for which the ban would be operative may be mentioned.
- 9.5 Unit wise banning may be done for a period up to six months only and for more than six months banning, it should be pervasive i.e. for all the units. In case of pervasive banning for more than six months i.e. across all the units, it should be done after approval of the Director (Finance) of the corporate office.

10. Appeal against the Decision of the Competent Authority

- The Agency may file an appeal against the order of the Competent Authority banning business dealing etc. The appeal shall be filed to Appellate Authority. Such an appeal shall be preferred within one month from the date of receipt of the order banning business dealing, etc.
- Appellate Authority would consider the appeal and pass appropriate order within 120 days which shall be communicated to the Agency as well as the Competent Authority.

11. Circulation of the names of Agencies with whom Business Dealings have been banned

The concerned unit shall forward the name and details of the Agency (ies) banned to IT&C Division of Corporate Office for displaying the same on the NTC website.

Corrupt, Fraudulent, Collusive or Coercive Practices Policy

1.0 Corrupt, Fraudulent, Collusive or Coercive Practices

It is expected from the Bidders/ suppliers/ contractors that they will observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of such contracts. In pursuance of this policy:

- (a) For the purposes of this provision, the terms set forth below shall mean as under:
- (i) "Corrupt practice" means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value and /or personal satisfaction to influence the action of a public official in the procurement process or in contract execution; and
- (ii) "Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to influence a procurement process or the execution of a contract to the detriment of the Purchaser, and includes collusive practice among Bidders (prior to or after bid submission) designed to establish bid prices at artificial non-competitive levels and to deprive the Purchaser of the benefits of free and open competition;
- (iii) "Collusive practice" means a scheme or arrangement between two or more bidders, with or without the knowledge of the Purchaser, designed to establish bid prices at artificial, noncompetitive levels; and
- (iv) "Coercive practice" means harming or threatening to harm, directly or indirectly, person or their property to influence or affect the execution of a contract;
- (v) "Integrity Pact" means an agreement called Integrity Pact between the contractor and the Employer shall be signed committing the persons/ officials of both the parties, not to exercise any corrupt influence on any aspect of the Tender/Contract. The Independent External Monitor(s)(IEM) appointed by the Employer shall oversee the compliance of obligation under the Integrity Pact.
- vi) "Independent External Monitor(s)(IEMs)" means the External Monitor(s) appointed by the Employer to oversee the implementation of Integrity Pact
- (b) A Bid may be rejected by the Purchaser if it is determined at any stage that the respective Bidder has engaged in corrupt, fraudulent, collusive and coercive practices or defaulted commitments under integrity pact as mentioned above in competing for the contract in question.
- (c) The Purchaser may declare a firm ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, if it at any time determines that the firm has engaged in corrupt or fraudulent practices, Collusive and Coercive practices or defaulted commitments under integrity pact in competing for, or in executing, a contract.
- (d) Banning of Business Dealings: It is not in the interest of NTC to deal with Agencies who commit deception, fraud or other misconduct in the tendering process. The grounds on which Banning of Business Dealings can be initiated are as follows:-
- i) If the security consideration, including questions of loyalty of the Agency to NTC so warrants;
- ii) If the director/ owner of the Agency, proprietor or partner of the firm, is convicted by a court of law for offences involving moral turpitude in relation to its business dealings with the Government or any other public sector enterprises, during last five years;
- iii) If business dealings with the Agency have been banned by the Ministry of Textiles, Government of India or by any other department of GOI.
- iv) If the Agency has resorted to corrupt, fraudulent practices including misrepresentation of facts;
- v) If the Agency uses intimidation / threatening or brings undue outside pressure on NTC or its official for acceptance / performances of the job under the contract:
- vi) If the Agency misuses the premises or facilities of the NTC, forcefully occupies or damages the NTC's properties including land, water resources, forests / trees or tampers with documents/records etc. (Note: The examples given above are only illustrative and not exhaustive. The Competent Authority may decide to ban business dealing for any good and sufficient reason).
- vii) In the transaction where NTC is a seller, the term Purchaser shall be deemed to have been replaced by 'Seller' and vice versa.

The procedure for banning of Business Dealings shall be governed as per NTC's "Guidelines on Banning Business Dealings" as enclosed separately. (Annexure A2).

Subject: Adoption of Integrity Pact.

As directed, Adoption of Integrity Pact in NTC, the following information is worth mentioning.

- 1. For the year 2013-14, it is expected that the turn-over of the Company would be around Rs.1222 crores.
- Revenue expenditure relating to raw-material, packing material, sizing material and stores & spares would be around Rs.790 crores.
- 3. As per guidelines, 90-95% of the procurement cost needs to be covered under the said Pact i.e. to say around Rs.750 crores for 2013-14 needs to be covered as Revenue Expenditure.
- 4. Out of above said expenditure of Rs.790 crores, the raw material along with purchase of semi finished and finished goods comes out to be Rs.752 crores. Thus, the total raw material purchase can be covered under the above Pact.
- 5. As NTC is procuring raw material from 100 bales and the price range is between Rs.30, 000-40,000 per candy, a threshold limit of Rs.15 lacs per procurement/contract is fixed for raw material procurement.
- 6. Other type of procurement of Goods & Services, which the company makes is towards capital expenditure i.e. Plant & Machinery etc.. The Machinery value & such purchase varies from Rs.2 lacs to Rs.one crore. Thus, in case of such purchases, the threshold value per order as Rs.10 lacs.
- 7. For capital expenditure one of the major constituents is civil work. Looking to the nature of work, the threshold value of Rs.25 lacs may also be fixed for civil work.
- 8. One of the major segments of the company is the finished product procured by Retail Marketing Division as outsourcing measure. Looking to the minimum order of 200 pieces at a time we may fix the threshold value of Rs.10 lacs for Retail Mktg. Division.
- 9. Purchase Apart, each sale transaction with a value exceeding prescribed, with any party shall be brought within the scope of Integrity Pact and a specific clause in this regard would be inserted in sale contract itself that in case the transaction is exceeding the above value, the same would be covered under the purview of Integrity Pact. Threshold value for each domestic transaction is defined at Rs.10 lacs and for each export contract at 5 lacs.
- 10. Apart from the above, all cases of land deals, all vacation of leased properties or any other matter as deemed appropriate by CMD shall also be within the purview of the above Integrity Pact.
